(79)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 2690–पी.बी.आर./2016 विविध-9087-PBR/17

प्रेम सिंह पुत्र श्री वृन्दावन काछी,
निवासी– ग्राम नयागांव तहसील व
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

1. रामस्वरुप पुत्र स्व. हरगोविन्द शिवहरे, निवासी– 47, दुर्गापुरी, ग्वालियर (म.प्र.)
2. चुन्नी पुत्र रामसिंह काछी, निवासी ग्राम नयागॉव, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) ----अनावेदकगण

--अनावेदकगण

दिनांक 11-5-17 को श्री अमित भार्गव अभि. द्वारा प्रस्तुत।

11-5-17
SO

A. Bhargava 11-5-17
अमित भार्गव
(अभि०)

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, आवेदक ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था, जिसका प्रकरण क्रमांक 2690–पी.बी.आर./2016 में दिनांक 22/03/2017 को आदेश पारित किया गया है।
2. यहकि, माननीय इस न्यायालय द्वारा लिपकीय त्रुटिवश आदेश की दिनांक 22/03/2017 के स्थान पर आदेश दिनांक 22/03/2016 टंकित हो गया है।
3. यहकि, माननीय इस न्यायालय द्वारा पारित **आदेश दिनांक 22/03/2016 के स्थान पर आदेश दिनांक 22/03/2017** टंकित किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि न्याय हित में आवेदन स्वीकार कर **आदेश दिनांक 22/03/2016** के स्थान पर आदेश **दिनांक 22/03/2017** टंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

ग्वालियर

दिनांकः 02/05/2017

निवेदक

प्रेम सिंह ---आवेदक

द्वारा अभिभाषक

आर. डी. शर्मा, A. Bhargava

विनोद भार्गव एवं अमित भार्गव

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9087–पीबीआर / 17 (उमसिंह / राज्य-मप्र) **जिला** ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–5–2017	आवेदक की ओर से श्री अमित भार्गव, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा बतलाया गया कि इस न्यायालय के मूल प्रकरण कमांक निगरानी 2690–पीबीआर / 2016 में दिनांक 22–3–17 को आदेश पारित किया गया है, परन्तु लिपिकीय त्रुटि के कारण दिनांक 22–3–17 के स्थान पर दिनांक 22–3–16 अंकित हो गया है, अतः लिपिकीय त्रुटि संशोधित की जाये । इस न्यायालय के मूल प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा वास्तव में दिनांक 22–3–17 को ही आदेश पारित किया गया है । अतः आज दिनांक 22–3–16 को पारित के स्थान पर आज दिनांक 22–3–17 को पारित पढ़ा जाये । यह आदेशिका मूल आदेश की अंग होगी, अतः उसके साथ संलग्न की जाये । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	